संख्या-115/2020/3538/71-1-2020-जी-182/2017

प्रेषक

अमित गुप्ता,
सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 30 सितम्बर, 2020

विषय:- प्रदेश के राजकीय एवं स्वशासी मेडिकल कालेजों तथा गैर स्वायत्तशासी चिकित्सा संस्थानों से सम्बद्ध चिकित्सालयों में आवश्यक औषधियों की उपलब्धता व उनके वितरण की व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु शासनादेश दिनॉक 02.01.2020 द्वारा निर्गत ''चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन औषधि प्रबन्धन मार्गदर्शिका (Drug Management Guidelines)'' में शिथिलीकरण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई-1/2020/2870, दिनॉक 05-09-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के राजकीय एवं स्वशासी मेडिकल कालेजों तथा गैर स्वायत्तशासी चिकित्सा संस्थानों से सम्बद्ध चिकित्सालयों में आवश्यक औषधियों की उपलब्धता व उनके वितरण की व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु शासनादेश संख्या-1/2020/6253/71-1-2020-जी-182/2017, दिनॉक 02.01.2020 द्वारा निर्गत ''चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन औषधि प्रबन्धन मार्गदर्शिका (Drug Management Guidelines)'' को वर्तमान में व्याप्त कोविड-19 महामारी के फलस्वरूप उत्पन्न विषम परिस्थितियों तथा मेडिकल कालेजों/संस्थानों से सम्बद्ध चिकित्सालयों में मरीजों की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु स्थगित किये जाने अथवा औषधि प्रबन्धन मार्गदर्शिका के उपबिन्दु 3.1 में शिथिलीकरण कर औषधि क्रय अनुपात की सीमा को 80:20 को शिथिल किये जाने के संबंध में आवश्यक आदेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 महामारी के फलस्वरूप उत्पन्न विषम परिस्थितियों तथा मेडिकल कालेजों/संस्थानों से सम्बद्ध चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों हेतु औषधियों की बढ़ती मांग के सापेक्ष तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु शासनादेश दिनॉक 02.01.2020 द्वारा निर्गत ''चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन औषधि प्रबन्धन मार्गदर्शिका (Drug Management Guideline)'' के उपबिन्दु 3.1 में निम्नानुसार शिथिलीकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

> ''सम्बन्धित चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थानों को आवंटित बजट के 60 प्रतिशत के अन्तर्गत औषधियों की आपूर्ति यू0पी0 मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड (UPMSCL) के माध्यम से प्राप्त होगी। शेष 40 प्रतिशत बजट का उपयोग प्रधानाचार्यों/निदेशकों द्वारा आकस्मिक परिस्थितियों तथा वैकल्पिक रिजर्व के रूप में औषधियों का क्रय करने हेतु किया जायेगा।''

3- कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत शासनादेश दिनॉक 02.01.2020 में किया जा रहा उक्त शिथिलीकरण वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 तक ही प्रभावी होगा।

4- औषधियों के स्पेसिफिकेशन, गुणवत्ता एवं मात्रा का विशेष ध्यान रखा जाये तथा इसे सुनिश्चित करने का दायित्व क्रय करने वाली संस्था का होगा।

5- उपर्युक्त् के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-1/2020/6253/71-1-2020-जी-182/2017, दिनॉक 02.01.2020 की शेष शर्ते/प्रतिबन्ध/बिन्दु/प्राविधान यथावत् रहेंगे।

भवदीय

(अमित गुप्ता)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

सचिव।

संख्या:-115/2020/3538(1)/71-1-2020 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
5- निदेशक, एन0आई0सी0, उ0प्र0, लखनऊ।
6- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उत्तर प्रदेश।
7- निदेशक, जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर एवं हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
8- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
9- वित्त नियंत्रक, समस्त राजकीय मेडिकल कालेज, उत्तर प्रदेश।
10- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।